

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
गोपाल बनाम नानूराम वगै०

केस संख्या : प्रा.पत्र 39/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
8/8/2024		<p>पत्रावली प्रस्तुत/ प्रार्थी ने कर पेशियों से मिली प्रती प्रेष नहीं की है एक तरफ रिफा नागा है अतः पेशी पर आवश्यकतय से पेश को पत्रावली दिनांक 28/8/24 को पेश हो।</p> <p align="right">सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>
28/8/24		<p>पत्रावली आज दिनांक 28/8/24 को पेश हुई। 12 डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट जयपुर कोन्डोलेन्स की जांच के पूर्वानुसार दिनांक 30/8/24 को पेश हो।</p>
30/8/2024		<p>पत्रावली प्रस्तुत/ प्रार्थी (अधिवक्ता उपस्थित) प्रार्थी ने अग्रार्जीगण को जारी वीच एजी की वशीत व एक रिपोर्ट पेश की हुतावधि एक रिपोर्ट अग्रार्जीगण को दिनांक 13/8/24 को गैरिफ प्राप्त हो चुके है। एक गदिने उपरान्त भी अग्रार्थी-1 (अनुपस्थित) है अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय कसद चुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता ने कसद अतिवक्त किया कि अग्रार्जीगण विवाहित कारणों का किना विधिक तकासमा हुये सर्वेथ रूप से हस्तान्तरित एवं बेचाग करन चाहे है अतः अग्रार्जीगण को</p>

3
फ 3
कार्यवाही

गोपाली नानुयान

दिनांक आज्ञा
मा कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

जरीप अस्वामि निषेधारा से पाबंद किया जाने
बदल एवं पत्रावली का हिलोका किया। प्राणी
ने ऐसा कोई दस्तावेज, एवं साथ पेश नहीं
किया कि जिसके जादिल को को प्राणी को
कोका हिस्सा अप्राणीजन का बेचान करना
पाएते हैं तथा एक सदखतिदार द्वारा दूसरे
सदखतिदार को पाबंद किया जाग भी शिचल
प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रकृत दरपण
मापला, जुमिया का संतुलन, एवं न्युरणीपणी
प्राणी के पत्र के प्रतीत नहीं होता है अतः
अबका पत्र अस्वामि निषेधारा कोषणीय नहीं
होकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैजल शुगर होकर
रखित पत्र है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर